

: परिपत्र :

लोक निर्माण विभाग में पुलों का सर्वे, जिओ-इन्वेस्टीगेशन, डिजाइन, डी0पी0आर0 बनाने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने का प्रचलन है। लेकिन इसमें कोई विशिष्ट निर्देशिका न होने के कारण एकरूपता नहीं है तथा विभिन्न खण्डों द्वारा अपने-अपने तरीके से इसका सम्पादन किया जा रहा है। जिस कारण कई प्रकरणों में इसका समुचित लाभ विभाग को नहीं मिल रहा है तथा कार्यों की जवाबदेही भी स्थापित न होने के कारण शासकीय हानि की भी सम्भावना बनी रहती है।

अतः इस सम्बन्ध में भविष्य हेतु निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं :-

1. पूर्व में भी निर्दिष्ट किया गया था कि किसी भी पुल के सुपर स्ट्रक्चर हेतु परिकल्पना/ डी0पी0आर0 के कार्य को आउटसोर्सिंग से कराये जाने से पूर्व यह अवश्य देख लिया जाय कि उसी प्रकार का पुल उत्तराखण्ड में किसी अन्य खण्ड में पूर्व में निर्मित है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1654/09 सा0प्र0/2014 दिनांक 17.12.2014 द्वारा विभिन्न खण्डों में उपलब्ध परिकल्पनाओं का लेखा-जोखा प्रेषित किया गया था। अतः भविष्य में आउटसोर्सिंग के द्वारा कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने से पूर्व इसका समाधान अवश्य कर लिया जाय एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की अनुमति के बिना कोई भी कन्सल्टेन्सी हेतु कार्य की निविदा न आमन्त्रित की जाय।
2. वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार जिओ-इन्वेस्टीगेशन, सर्वे, परिकल्पना की वैटिंग, डी0पी0आर0 तथा सुपरविजन कन्सल्टेन्ट हेतु अलग-अलग संस्थाओं को अनुबन्धित किया जाता है तथा ये अलग-अलग संस्थाएँ कार्य त्रुटिपूर्ण होने पर एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं अथवा कमियाँ निकालते हैं, जिससे विभाग को जवाबदेही तय किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा विधिक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अधिकांश प्रकरणों में देखा गया है कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान/शिक्षण संस्थाएं उपरोक्त कार्यों हेतु काफी समय लेती हैं तथा कराये गये कार्यों की जिम्मेदारी भी नहीं लेती है। अतः भविष्य में जिओ-इन्वेस्टीगेशन, सर्वे, परिकल्पना, वैटिंग तथा डी0पी0आर0 कराये जाने और यदि आवश्यकता हो तो सुपरविजन हेतु भी एक ही निविदा आमन्त्रित की जाय। वैटिंग निविदादाताओं द्वारा कहाँ से करायी जानी है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख

किया जाय। इस प्रकार कन्सल्टेन्ट सम्पूर्ण कार्य के लिए जवाबदेह रहेगा। कन्सल्टेन्ट से 10% सिक्योरिटी धनराशि ली जाय। जो कि कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त ही वापस की जा सकेगी।

3. कन्सल्टेन्ट द्वारा परिकल्पना की विस्तृत गणना एवं विधि आई0एस0 कोड/आई0आर0सी0 प्राविधान/टेक्सट बुक्स/सॉफ्टवेयर (वर्जन) आदि का उल्लेख करते हुए पूर्ण गणना सहित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. सुपर स्ट्रक्चर के डिजाइन की परिकल्पना का उपयोग सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के किसी अन्य प्रोजेक्ट में भी किया जा सकता है। इस पर कन्सल्टेन्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. वैटिंग कराने की जिम्मेदारी भी पूर्णतः उसी कन्सल्टेन्ट की होगी। लेकिन इसमें विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा कि वैटिंग किस प्रतिष्ठान/संस्था से कराया जाय।
6. सुपरविजन कन्सल्टेन्ट की जहां आवश्यकता हो, उसका उल्लेख अनुबन्ध में अवश्य कर लिया जाय।

अतः भविष्य में उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-। (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0/आपदा/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/टिहरी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0/आपदा/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त तकनीकी अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0/आपदा/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. श्रीमती रचना थपलियाल, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय को Website पर डालने हेतु।
8. प्रति स्वयं को।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।